



टी0ए0 गिस केस सं0 366/2018-19

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
25 ⁰³ / ₁₉	<p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक शंकर सुन्डी, पिता-स्व0 कैरा सुन्डी, ग्राम- नरसन्डा टोला टोड़गवासा, थाना- मुफसिल जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा में मौजा- लुपुंगगुद, थाना नं०- 645, खाता नं०-69, प्लॉट नं०-74, रकबा- 0.13 एकड़ भूमि क्रेता जय कृष्णा सावैर्यो, पिता-लोपो सावैर्यो, ग्राम-गुंडीपुवा, थाना- मुफसिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तांतरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के दादा के नाम पर खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-214, दिनांक- 16.3.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान मरम्मत एवं अन्य धरेलु कार्य हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता जय कृष्णा सावैर्यो, पिता-लोपो सावैर्यो, ग्राम-गुंडीपुवा, थाना-मुफसिल चाईबासा के पास 4,00,000.00/- (चार लाख) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफसिल थाना के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.30 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति समुचित है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता शंकर सुन्डी, पिता-स्व0 कैरा सुन्डी, ग्राम-नरसन्डा टोला टोड़गवासा, थाना- मुफसिल, क्रेता जय कृष्णा सावैर्यो, पिता-लोपो सावैर्यो, ग्राम-गुंडीपुवा, थाना-मुफसिल चाईबासा के पास जमीन का 4,00,000.00/- (चार लाख) रूपये में मौजा- लुपुंगगुद, थाना नं०- 645, खाता नं०-69, प्लॉट नं०-74, रकबा- 0.13 एकड़ जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी जाती है।</p>	
लेखापित।	<p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p>	<p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p>